SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद मिण्ड

प्रकरण क्मांक 12018

Name and address of the complain मoप्रo शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड मoप्रo

name, parentage, caste and address of accused

- अंगद सिंह पुत्र हाकिम सिंह ओझा उम्र 40 साल निवासी छरेंटा थाना मौं जिला भिण्ड
- 🗸. राजू गुर्जर पुत्र अजव सिंह गुर्जर उम्र 35 साल निवासी इटायदा थाना मौं जिला भिण्ड
- -3. भगवान सिंह पुत्र रामचरन कुशवाह उम्र 41 निवासी नीरपुरा थाना मौं जिला भिण्ड
- 4. तोताराम पुत्र मोतीराम जाटव उम्र 60 निवासी झांकरी थाना मौं जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक 16/12/17 को 17:15 बजे जमादारों के घर के पीछे ग्राम झांकरी में ताश के पत्तों

से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला। विकास के प्रकार्शक करवित्र कार्क्स क्रिक्ट करिक

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]-- िल्ला- थिण्ड (म प्र

आरोपी का अभिवाक्-

079/01/1/2/2 x-

The manderin

प्रतिष्टा अवस्था न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

eem ,3000 त्रपवड00//निर्णय//

(आज दिनांक 25/1/18 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
 - 2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त घरा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये 100–100/—रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
 - 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 05–05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
 - 4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गडडी नष्ट हो एवं रूपये 10360/—रुपये राजसात किये जाते है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान- गोहद

दिनांक- 25/1/18

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

गोहट जिला- थिण्ड (म.प.

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

25/11/8

प्रतिष्ठा अवस्थी) ज्याविजेएमएफसी गोहद्योगी मोसह जिला- विण्ड (म.प्र.